प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंड पीठ :

कोरम माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्र. 307/2006

अर्जुन यादव एवं अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ शासन

विचारार्थ निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री आर.एल. झंवर जी

में सहमत हूँ

सही/-

श्री आर.एल. झंवर

न्यायाधीश

निर्णय की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध किया जाए : 20/4/2011

सही/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंड पीठ :

कोरम माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्र. 307 2006

अपीलार्थीगण 1. अर्जुन यादव, आत्मज छन्नू यादव, उम्र लगभग 60 वर्ष।

(जेल में) 2. साखन यादव उर्फ सखन यादव, आत्मज अर्जुन यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष।

3. रघुबीर यादव उर्फ बल्लू यादव, आत्मज अर्जुन यादव, उम्र लगभग 22 वर्ष।

सभी निवासी लारापारा, थाना कोटा, जिला बिलासपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा पुलिस थाना कोटा, जिला बिलासपुर।

अपील अंतर्गत धार 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता

-अपीलार्थीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रमोद वर्मा के साथ अधिवक्ता श्री विवेक श्रीवास्तव।

राज्य/उत्तरवादी की ओर से पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधु निशा सिंह।

<u>निर्णय</u>

(20 अप्रेल, 2011 को उद्घोषित)

न्यायालय का निर्णय माननीय **<u>श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश</u>** द्वारा सुनाया गया :

1. इस अपील में दिनांक 22.3.2006 को दशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 147/2005 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विद्वान दशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को समान आशय की पूर्ति में घनश्याम साहू की हत्या की श्रेणी में आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी पाते हुए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास एवं 500/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया, जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि साक्ष्य का लेशमात्र अंश न होने के बावजूद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया और इस प्रकार अवैधता कारित की।

3. अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, दिनांक 25.12.2004 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन सुबह लगभग 7.30 बजे जब मृतक घनश्याम साहू तालाब के पास शौच के लिए गया था और उसके पिता पुनीराम (अ.सा.-1) उसके साथ थे, सभी अपीलार्थी आए, वे लाठियाँ लिए हुए थे, उन्होंने घनश्याम पर हमला किया और उसके सिर तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर घातक चोटें पहुंचाईं। पुनीराम (अ.सा.-1) और अन्य ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े और अंततः वे घायल घनश्याम को सुबह लगभग 9 बजे अस्पताल ले गए जहाँ घनश्याम ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। मृतक के पिता यानी पुनीराम (अ.सा.-1) ने प्रदर्श पी/1 के

माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्रदर्श पी/2 के माध्यम से मर्ग दर्ज कराया। जांच अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और प्रदर्श पी/5 के माध्यम से गवाहों को बुलाने के बाद, मृतक घनश्याम के शव का पंचनामा प्रदर्श पी/6 के माध्यम से तैयार किया गया। प्रदर्श पी/3 के माध्यम से घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया। प्रदर्श पी/10 के माध्यम से घटनास्थल से रक्त आलूदा और सादी मिट्टी बरामद की गई। शव को शव विच्छेदन के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोटा भेजा गया जहाँ डॉ. के.के. एरी (अ.सा.-9) ने प्रदर्श पी/19 के माध्यम से शव विच्छेदन किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:-

(i) दाहिने टेम्पो-पेराइटल क्षेत्र पर 2" x 1/2" x 1/2" का फटा हुआ घाव।

(ii) पीठ पर सात खरोंचे क्रमशः 6"x3", 2"x3", 4"x3", 4"x3", 3"x1", 2"x2" और 4"x3" आयाम के।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) दाहिने टखने के जोड़ पर 1"x1/2"x1/2" का एक फटा हुआ घाव।

(iv) बाएं घुटने पर 2"x1/2"x1/2"x1/2" का एक फटा हुआ घाव।

(v) दाहिनी जांघ पर 4"x2" का खरोंच।

(vi) बाएं कान से रक्त का रिसाव।

(vii) दाहिनी पेराइटल टेम्पोरल हड्डी का फ्रैक्चर। मस्तिष्क की झिल्ली फटी हुई और रक्ताधिक्य युक्त थी।

(viii) दोनों पैरों की फिबिया हड्डी खंडित पाई गई।

मृत्यु का कारण कोमा था और मृत्यु मानव वध की प्रकृति की थी। अपीलार्थीगण से प्रदर्श पी/7 से पी/9 के माध्यम से लाठियां बरामद की गईं। अपीलार्थी अर्जुन यादव से प्रदर्श

पी/11 के माध्यम से खून से सनी लुंगी बरामद की गई। पटवारी ने प्रदर्श पी/18 के माध्यम से घटना स्थल का नक्शा तैयार किया।

4. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके बाद 'संहिता' कहा गया है) की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अन्वेषण पूरी होने के बाद, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर की न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपार्पित कर दिया, जहाँ से विद्वान दशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बिलासपुर को विचारण हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ।

5. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के दोष को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल ग्यारह साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के बयान संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोष होने तथा प्रश्नगत अपराध में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक कीया। अपीलार्थीगण ने बचाव साक्षी गंगाराम साहू (ब.सा.-1) का भी परीक्षण कराया, जिसने साक्ष्य दिया कि उसे मृतक घनश्याम के पिता पुनीराम ने सूचित किया था कि जनक के खेत में घनश्याम की हत्या कर दी गई है। वह भी मौके पर पहुँचा और घनश्याम मर चुका था। वे घनश्याम की लाश को थाने ले आए। वास्तव में उसने अभियोजन या बचाव के पक्ष या विरोध में कुछ भी साक्ष्य नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, दशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बिलासपुर ने अपीलार्थीगण को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया है।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि वर्तमान प्रकरण में वे घातक चोटों के परिणामस्वरूप घनश्याम की मानव वध मृत्यु पर विवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान अपीलार्थीगण ने घनश्याम को कोई चोट नहीं पहुंचाई है। मृतक के पिता, एकमात्र साक्ष्य पुनीराम (अ.सा.-1) का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता और भरोसेमंद नहीं है तथा स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि के अभाव में उस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। चक्षुदर्शी साक्ष्य अंजोरीराम (अ.सा.-7), मनीराम (अ.सा.-2) और रामरतन (अ.सा.-4), जिनके सामने मृतक ने मृत्युकालीन कथन दिया था, उनका साक्ष्य भी विश्वास उत्पन्न नहीं करती और उन पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि अन्यथा भी अभियोजन यह समझाने के लिए बाध्य था कि अपीलार्थीगण ने घातक चोटें कैसे पहुंचाईं और उक्त अपीलार्थीगण का सामान्य आशय क्या था, लेकिन वर्तमान मामले में अभियोजन ने यह स्पष्ट और निर्दिष्ट नहीं किया है कि तीन अपीलार्थीगण में से किसने मृतक के सिर पर घातक चोट पहुंचाई जो उसकी मृत्यु के लिए पर्याप्त थी और अपीलार्थीगण का सामान्य आशय क्या था, क्या उनका आशय साधारण चोट पहुँचाना था या गंभीर चोट पहुँचाना था या घनश्याम को सबक सिखाना था या उनका आशय घनश्याम का ऐसा मानव वध करना था जो हत्या की श्रेणी में न आता हो। वे बांस की लाठियां लिए हुए थे जो सामान्य जनजीवन में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु है, वे घातक या खतरनाक हथियारों से लैस नहीं थे। सिर पर पाई गई एक चोट को छोड़कर बाकी सभी चोटें मृतक की पीठ पर पाई गईं, जिससे यह ज्ञात होता है कि चोट पहुँचाने के समय सिर पर एक चोट को छोड़कर हमलावर ने महत्वपूर्ण अंगों पर चोट न पहुँचाने में उचित सावधानी बरती है, जो दर्शाता है कि उन्होंने हत्या की श्रेणी में आने वाले या न आने वाले मानव वध के लिए कोई चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए, यदि उक्त गवाहों के साक्ष्य को सत्य मान भी लिया जाए, तो अपराध के किसी भी प्रमाण के अभाव में और इस तथ्य के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभाव में कि मृतक के सिर पर कथित चोट किसने पहुंचाई, अपीलार्थीगण का मामला सीधे तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 सहपठित धारा 34 के दायरे में आता है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने **शर्मन और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य** [1]के प्रकरण पर अवलंब लिया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि सामान्य उद्देश्य के मामले में अभियोजन को विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को स्थापित करना आवश्यक है और यदि जमाव के किसी सदस्य ने सामान्य उद्देश्य के अतिरिक्त गया है और अपनी मर्जी से कार्य किया है, तो यह उसका व्यक्तिगत कार्य होगा और अन्य सदस्य उस सदस्य द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। विद्वान अधिवक्ता ने **नादोदी जयरामन और अन्य बनाम तमिलनाडु [2]राज्य** के मामले पर भी अवलंब लिया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यदि सिर की एक चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त पाई जाती है और अन्य कई चोटें साधारण हैं, तो अभियोजन को अपीलार्थीगण द्वारा कारित चोट की सटीक प्रकृति और यह कि किसने ऐसी चोट पहुंचाई है, सिद्ध करना आवश्यक है और यदि मृतक के गिरने के बाद अपीलार्थीगण द्वारा आगे कोई हमला नहीं किया गया है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थीगण का मृत्यु कारित करने का या शायद मृत्यु कारित करने के सामान्य आशय नहीं था या उनके कृत्य से मृत्यु कारित होने की या ऐसी चोट जिससे मृत्यु कारित हो पहुंचाने की संभावना नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि जिन मामलों में बड़ी संख्या में व्यक्ति शामिल होते हैं और हंगामे के दौरान अभियोजन साक्षियों और अन्य को चोटें आती हैं, वहाँ न्यायालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उस समान आशय का निर्धारण करे जिसे उन अभियुक्तों पर आरोपित किया जा सकता है जिन्हें दोषसिद्ध किया गया है, जबकि उनके कुछ सह-अभियुक्त दोषमुक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] ए आई आर 1993 एस सी 400
[2] 1992 सप (3) एस सी सी 161

कर दिए गए हों। विद्वान अधिवक्ता ने **मोहिंदर सिंह एवं अन्य बनाम दिल्ली राज्य** [3] के मामले पर अवलंब लिया है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अपीलार्थीगण संख्या में अधिक हैं, तो अभियोजन को उनका समान आशय सिद्ध करना आवश्यक है और यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि समान आशय साझा करते हुए किसी एक ने ऐसी घातक चोट कारित की है जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। समान आशय की सिद्धि के अभाव में, जिस व्यक्ति ने घातक चोट कारित नहीं की है, उसे हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने **गज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य**[4] के मामले पर भी अवलंब लिया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थीगण का राइफलों से लैस होकर एक साथ आना यह दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं था कि वे समान आशय साझा करते हुए आए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि चक्षुदर्शी साक्षियों पुनीराम (अ.सा.-1), जो मृतक के पिता हैं, अंजोरीराम (अ.सा.-7), मनीराम (अ.सा.-2) और रामरतन (अ.सा.-4), जिनके समक्ष मृतक घनश्याम ने मृत्युकालीन कथन किया था, के साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि केवल अपीलार्थीगण ने ही घनश्याम की हत्या की श्रेणी में आने वाला मानव वध कारित किया है। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहाँ अपीलार्थी अपने काम पर जा रहे थे और संयोगवश मृतक रास्ते में मिल गया और उन्होंने उस पर हमला कर दिया, बल्कि वर्तमान मामले में सुबह लगभग 7.15-8 बजे जब लोग अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त होते हैं, अपीलार्थीगण एकत्रित हुए और उस तालाब के पास गए जहाँ मृतक घनश्याम अपने पिता के साथ शौच के लिए गया था जो यह दर्शाता है कि घनश्याम और उसके पिता पुनीराम (अ.सा.-1) को इस बात की पर्याप्त आशंका थी कि पिछले झगड़े के कारण अपीलार्थीगण घनश्याम को

[3] ए आई आर 1975 एस. सी 1506
[4] ए आई आर 1976 एस. सी. 2069

मार सकते हैं, इसी कारण मृतक के पिता उसके साथ जा रहे थे। अपीलार्थीगण को इस बात का निश्चित ज्ञान था कि सुबह के समय मृतक अपने घर से बाहर निकलेगा और वह उसके जीवन को समाप्त करने के लिए उपयुक्त समय होगा। घनश्याम को मारने के इरादे से सभी अपीलार्थी लाठियों के साथ मौके पर गए और घनश्याम पर तब हमला किया जब वह असहाय स्थिति में था और यहाँ तक कि वह मौके से भागकर या किसी वस्तु का उपयोग करके अपनी जान बचाने में भी सक्षम नहीं था। सिर की चोट और शरीर के अन्य हिस्सों पर पाई गई अन्य चोटें मृतक की मानव वध मृत्यु कारित करने में अपीलार्थीगण के निर्दयतापूर्ण कृत्य को दर्शाती हैं। उपरोक्त परिस्थितियाँ इस तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि उक्त अपीलार्थीगण के मनों का मिलन था और अपीलार्थीगण का केवल घनश्याम को मारने का आशय था और समान आशय साझा करते हुए सभी अपीलार्थीगण ने ऐसी चोटें पहुंचाईं जिसके परिणामस्वरूप घनश्याम की मृत्यु हो गई। इन परिस्थितियों में, अभियोजन अपीलार्थीगण के समान आशय को सिद्ध करने के लिए बाध्य नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. पक्षों की ओर से किए गए तर्कों का विवेचन करने के लिए हमने पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

12. वर्तमान प्रकरण में, मृतक घनश्याम के सिर पर पाई गई घातक चोट के परिणामस्वरूप हुई मानव वध मृत्यु को अपीलार्थीगण की ओर से पर्याप्त रूप से विवादित नहीं किया गया है, अन्यथा भी, यह अ.सा.-9 के साक्ष्य और शव विच्छेदन रिपोर्ट प्रदर्श पी/19 द्वारा स्थापित है। घनश्याम की मृत्यु की प्रकृति मानव वध थी।

13. जहाँ तक प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थीगण की संलिप्तता का संबंध है, दोषसिद्धि मुख्य रूप से चक्षुदर्शी साक्ष्य पुनीराम (अ.सा.-1), अंजोरीराम (अ.सा.-7) और मनीराम (अ.सा.-2) तथा रामरतन (अ.सा.-4) के समक्ष मृतक द्वारा किए गए मृत्युपूर्व कथन के साक्ष्य पर आधारित है। पुनीराम (अ.सा.-1) के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थीगण के साथ पिछले

झगड़े के कारण घटना के समय वह अपने बेटे घनश्याम के साथ तालाब के पास गया था। घनश्याम के निवृत्त होने (शौच) के समय वह तालाब के पास अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था, तभी अचानक घनश्याम मदद के लिए चिल्लाया "दौड़ो मुझे मार डालेंगे", तब उसने अपीलार्थीगण को देखा जो लाठियां लिए हुए उसके बेटे घनश्याम के साथ मारपीट कर रहे थे, उसने अपीलार्थीगण से विनती की कि घनश्याम उसका इकलौता बेटा है और उसे न मारें, लेकिन अपीलार्थी बल्लू और साखन इस गवाह की ओर झपटे, तब उसने वृंदा और पंचू से, जो मौके पर मौजूद थे, अपने बेटे को बचाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर उसके बेटे को कैसे बचा सकते हैं। अपीलार्थी बल्लू ने उसके बेटे के सिर पर लाठी से हमला किया और गंभीर चोट पहुँचाई, उसके बाद अन्य अपीलार्थीगण ने भी हमला किया, वह मदद के लिए चिल्लाया, फिर ग्रामीण मौके पर आए और अपीलार्थी मौके से भाग गए। वे घायल घनश्याम को बाड़ी (रसोई उद्यान) में लाए, उसके बाद ट्रैक्टर की व्यवस्था करके वे रामरतन, मनीराम, बलिराम और अन्य व्यक्तियों के साथ घनश्याम को थाना कोटा ले गए। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत उसे घायल को अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया, वे घायल को अस्पताल ले गए जहाँ अंततः घनश्याम की मृत्यु हो गई, फिर उसने प्रदर्श पी/1 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्रदर्श पी/2 के माध्यम से मर्ग दर्ज कराया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अंजोरीराम (अ.सा.-7) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह डाबरी तालाब के पास गया था जहाँ उसने लाठी चलने की आवाज़ सुनी, फिर उसने घटना देखी, उस समय अपीलार्थीगण घनश्याम को लाठियों से पीट रहे थे और वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। अपीलार्थीगण उसे चोट पहुँचा रहे थे। बिंदा यादव, शंकर यादव और पंचराम भी वहाँ मौजूद थे। अपीलार्थी के पिता मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी समय पंचराम, बिंदा और शंकर यादव मौके से भाग गए। घनश्याम बुरी तरह घायल था। अन्य व्यक्तियों ने

घनश्याम को गाँव पहुँचाया। बचाव पक्ष ने इस गवाह से विस्तार से प्रति-परीक्षण की है। उसने अपनी प्रति-परीक्षण के पैरा 10 में इस सुझाव से इनकार किया है कि पिछली रात लगभग 10 बजे उसके और घनश्याम के बीच झगड़ा हुआ था। उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि पिछले झगड़े के कारण उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर घनश्याम की हत्या की है। पैरा 11 में उसने अपीलार्थी अर्जुन के साथ दुश्मनी से इनकार किया है। अपनी विस्तृत प्रति-परीक्षण में, उसने विशिष्ट और पर्याप्त रूप से गवाही दी है कि उसने घटना देखी है कि सभी अपीलार्थीगण ने घनश्याम को लाठियों से मारा था, उन्होंने बेरहमी से घनश्याम के साथ मारपीट की और घनश्याम के अंग तोड़ दिए। अन्य व्यक्ति मौके से भाग गए। अपीलार्थीगण द्वारा निरंतर और निर्दयतापूर्ण हमले के कारण कोई भी घटना में बीच-बचाव करने या बचाने की स्थिति में नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. बचाव पक्ष ने पुनीराम (अ.सा.-1) से विस्तार से प्रति परीक्षण किया है। अपने विस्तृत प्रति परीक्षण में उसने बहुत विशिष्ट और स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि इन अपीलार्थीगण ने उसके बेटे घनश्याम के साथ बेरहमी से मारपीट की और बार-बार चोटें पहुँचाईं। उसके साक्ष्य को अंजोरीराम (अ.सा.-7) के साक्ष्य और तत्काल दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी/1 से समर्थन मिलता है।

16. मनीराम (अ.सा.-2) के साक्ष्य के अनुसार, घनश्याम की आवाज़ सुनने के बाद वह अन्य व्यक्तियों के साथ मौके पर पहुँचा जहाँ उसने घायल घनश्याम का शरीर देखा, पूछने पर घनश्याम ने मृत्युकालीन कथन दिया कि वर्तमान अपीलार्थीगण ने उसे लाठियों से पीटा है। रामरतन (अ.सा.-4) ने मृतक द्वारा किए गए मृत्युकालीन कथन के संबंध में मनीराम (अ.सा.-2) के साक्ष्य की पर्याप्त पुष्टि की है। इन गवाहों के साक्ष्य में उनके पिछले बयानों प्रदर्श डी/2 और डी/4 के साथ कुछ विसंगतियां, लोप, विरोधाभास और अतिशयोक्ति हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि घनश्याम ने मृत्युकालीन कथन किया था।

मृत्युकालीन कथन का साक्ष्य एवं जब मृत्युकालीन कथन सत्य साबित होजाये, तब वह अभियुक्तगन की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त होता है ।

17. चक्षुदर्शी साक्ष्य पुनीराम (अ.सा.-1) और अंजोरीराम (अ.सा.-7) के साक्ष्य को मृतक द्वारा किए गए मृत्युकालीन कथन से भी समर्थन मिलता है। पुनीराम (अ.सा.-1) मृतक का पिता है और वह एक संबंधी साक्ष्य है, लेकिन उसके साक्ष्य को केवल उसके संबंध के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी, संबंधी वास्तविक अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा।

18. अंजोरीराम (अ.सा.-7) द्वारा समर्थित पुनीराम (अ.सा.-1) का साक्ष्य और मनीराम (अ.सा.-2) तथा रामरतन (अ.सा.-4) को दिए गए मृत्युकालीन कथन का तथ्य यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान अपीलार्थीगण ने घनश्याम को चोटें पहुँचाईं और घनश्याम ने अपीलार्थीगण द्वारा पहुँचाई गई चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जहाँ तक हेतुक के प्रश्न का संबंध है, प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में हेतुक अपना महत्व खो देता है, अन्यथा भी, हेतुक केवल आपराधिकता में एक सहायता है और चोट की प्रकृति, प्रयुक्त हथियार के प्रकार, शरीर के प्रभावित हिस्से और अन्य समान परिस्थितियों के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

20. समान आशय किसी कार्य या कार्यों की श्रृंखला को करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का आशय है। समान आशय का तात्पर्य मिलकर कार्य करना, पूर्व-नियोजित योजना का अस्तित्व है जिसे या तो आचरण से या परिस्थितियों से या किसी भी दोषारोपकारी तथ्यों से सिद्ध किया जाना है। समान आशय के प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **रामाशीष यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य** [5]के मामले में पैरा 3 में निम्न प्रेक्षण किया है:-

[5] ए आई आर 1999 एस. सी. 3830

"3.....धारा 34 किसी अपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। उस दायित्व का सार अभियुक्तों को प्रेरित करने वाले समान आशय के अस्तित्व में पाया जाना है जो ऐसे आशय के अग्रसरण में आपराधिक कृत्य करने की ओर ले जाता है। धारा 34 की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है। समान आशय का तात्पर्य मिलकर कार्य करना, पूर्व-नियोजित योजना का अस्तित्व है जिसे या तो आचरण से या परिस्थितियों से या किसी भी दोषारोपकारी तथ्यों से सिद्ध किया जाना है। इसके लिए पूर्व-नियोजित योजना की आवश्यकता होती है और यह पूर्व सहमति को पूर्वकल्पित करता है। इसलिए, मनों का पूर्व मिलन होना चाहिए. पूर्व सहमति या मनों के मिलन का निर्धारण अपराधियों के उस आचरण से किया जा सकता है जो कार्रवाई के दौरान स्वयं प्रकट होता है और हमले से ठीक पहले उनके द्वारा की गई घोषणा से भी। इसे मौके पर ही विकसित किया जा सकता है लेकिन एक पूर्व-व्यवस्था या पूर्व-नियोजित सहमति होनी चाहिए....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. समान आशय की प्रकृति को सिद्ध करने की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **नादोदी जयरामन और अन्य (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में पैरा 16 में निम्न प्रेक्षण किया है:-

"16. उन मामलों में, जहाँ बड़ी संख्या में व्यक्ति शामिल होते हैं और हंगामे में अभियोजन पक्ष के गवाहों और अन्य को चोटें पहुँचाई जाती हैं, यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह उस समान आशय का निर्धारण करे जो उन अभियुक्तों पर आरोपित किया जा सकता है जिन्हें दोषी ठहराया गया है,

जबकि उनके कुछ सह-अभियुक्त दोषमुक्त कर दिए गए हों और राज्य उनके दोषमुक्त होने के विररूध कोई अपील दायर न करने का विकल्प चुनता हो। समान आशय का निर्धारण करने की दृष्टि से, चोटों की प्रकृति, घटना की पृष्ठभूमि और चोट पहुँचाने के लिए प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति के साथ-साथ अन्य कारकों पर उचित रूप से विचार और मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।"

22. अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या किसी अन्य मूल अपराध के तहत धारा 34 की सहायता से दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन को ऐसे कृत्य करने के लिए व्यक्तियों के समान आशय को सिद्ध करना आवश्यक है और समान आशय का अनुमान अपीलार्थीगण द्वारा कारित चोट की प्रकृति और उनके द्वारा आरोपित कृत्य के आधार पर लगाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **मोहिंदर सिंह और अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, अभियोजन को यह तथ्य सिद्ध करना आवश्यक है कि सह-अभियुक्त के साथ समान आशय साझा करते हुए अन्य अभियुक्त ने मृतक की हत्या कारित की है, अन्यथा सह-अभियुक्त की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्धि को स्थायी नहीं पाया गया। उच्चतम न्यायालय ने पैरा 3 में निम्न प्रेक्षण किया है:-

"3. अत: हमारी राय है कि यद्यपि उमेद सिंह को दयानंद की हत्या के अपराध के लिए सही ढंग से दोषी ठहराया गया है, मोहिंदर सिंह को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि उसने दयानंद की मृत्यु कारित करने के लिए या कम से कम ऐसी चोट कारित करने

के लिए उमेद के साथ समान आशय साझा किया था जो प्रकृति के सामान्य क्रम में दयानंद की मृत्यु की ओर ले जाए। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि घटना में शामिल तीन व्यक्ति दयानंद की मृत्यु कारित करने के इरादे से वहाँ गए थे, हालाँकि इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने कहा था कि वे उसे मार देंगे। यह संभवतः एक अतिशयोक्ति है। यदि इरादा हत्या करने का होता तो कुल्हाड़ी के उल्टे हिस्से का प्रयोग नहीं किया जाता। जहाँ यह ज्ञान कि उसके द्वारा पहुँचाई जा रही चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में दयानंद की मृत्यु का कारण बनेगी, उमेद सिंह पर आरोपित किया जा सकता है, वहीं मोहिंदर सिंह पर ऐसा ज्ञान आरोपित करना संभव नहीं है। अतः, मोहिंदर सिंह पर उमेद सिंह के साथ दयानंद को ऐसी चोट पहुँचाने का समान आशय आरोपित करना संभव नहीं है जो प्रकृति के सामान्य क्रम में उसकी मृत्यु का कारण बने। इसलिए हमारी राय है कि मोहिंदर सिंह को धारा 302/34 के तहत दयानंद की हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। परिणाम यह होगा कि उसे केवल उपहति कारित करने या अधिक से अधिक दयानंद को घोर उपहति कारित करने के लिए ही दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए, हम उसकी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करेंगे और उसे दी गई सजा को धारा 325, भारतीय दंड संहिता के तहत सजा में बदल देंगे। चूंकि वह घटना के तुरंत बाद से जेल में है, इसलिए सजा पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित रहेगी। उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। उमेद सिंह की अपील खारिज की जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **गज्जन सिंह (पूर्वोक्त)** के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, केवल राइफल से लैस होना और एक व्यक्ति द्वारा चोट पहुँचाना अन्य के समान आशय को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

25. सामान्य उद्देश्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने शर्मन और अन्य (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य ने जमाव के सामान्य उद्देश्य का उल्लंघन किया है और अपनी मर्जी से कार्य किया है, तो यह उसका व्यक्तिगत कार्य होगा और अन्य धारा 149 की सहायता से उत्तरदायी नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय ने पैरा 5 में निम्न प्रेक्षण किया है:

> "5.....अभियोजन पक्ष का सामान्य मामला यह है कि वे सभी लाठियों के साथ पाए गए थे। किसी ने यह नहीं बताया है कि उनमें से किसने चोट संख्या 15 कारित की जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्यवश मृतक की मृत्यु हो गई। यदि अपीलार्थीगण में से किसी ने भी सामान्य उद्देश्य का उल्लंघन किया था और अपनी मर्जी से कार्य किया था, तो यह उसका व्यक्तिगत कार्य होगा। इस मामले में दुर्भाग्यवश कोई भी गवाह यह बताने के लिए सामने नहीं आया है कि किस अभियुक्त ने कौन सी चोट पहुँचाई। इन परिस्थितियों में हमें धारा 302/149 के तहत दंड देना कठिन लगता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. धारा 34 यानी समान आशय की प्रयोज्यता के प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **पीपल सिंह बनाम पंजाब राज्य**[6] के प्रकरण में निर्धारित किया है कि समान आशय का निर्धारण करने की दृष्टि से, चोटों की प्रकृति, घटना की पृष्ठभूमि और चोट पहुँचाने के लिए प्रयुक्त हथियार की प्रकृति के साथ-साथ अन्य कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने पैरा 3 में निम्न प्रेक्षण किया है:-

[6] (2001) 2 एस.सी.सी 292

"3. यहाँ तक कि जहाँ कई अभियुक्तों में से कुछ को दोषमुक्त कर दिया गया है, वहाँ भी न्यायालय के लिए यह विचार करना खुला है कि क्या शेष अभियुक्त दूसरों (जिन्हें दोषमुक्त किया गया है) के साथ मिलकर अपराध करने के कारण धारा 34 के प्रयोग द्वारा अपराध के दोषी थे। समान आशय का निर्धारण करने की दृष्टि से, चोटों की प्रकृति, घटना की पृष्ठभूमि और चोट पहुँचाने के लिए प्रयुक्त हथियार की प्रकृति के साथ-साथ अन्य कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। कानून में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो हमारे द्वारा ऊपर बताए गए रास्ते को अपनाने से रोकता हो। इस मामले में उत्पन्न परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए आवश्यक अभ्यास किया है कि क्या अभियुक्तों को धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराए जाने की आवश्यकता थी। हमें इसमें कोई त्रुटि नहीं मिली।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. समान आशय और समान आशय के निर्धारण के लिए सामग्री पर विचार करने के प्रश्न पर, उच्चतम न्यायालय ने **सुरेंद्र चौहान बनाम म.प्र. राज्य**[7] के मामले में निर्धारित किया है कि समान आशय के अस्तित्व का अनुमान मामले की उपस्थित परिस्थितियों और पक्षों के आचरण से लगाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने पैरा 11 में निम्न प्रेक्षण किया है:-

"11. धारा 34 के तहत, अपराध को सुगम बनाने या बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को अपराध के वास्तविक निष्पादन के समय शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए, जिसका निष्पादन संयुक्त आपराधिक उद्यम का लक्ष्य है। उन लोगों की उपस्थिति, जो किसी न किसी तरह से सामान्य योजना के निष्पादन को सुगम बनाते हैं, स्वयं आपराधिक कृत्य में वास्तविक भागीदारी के समान है। धारा 34 का सार किसी विशेष परिणाम को लाने के लिए

[7] (2000) 4 एस.सी.सी 110

आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मनों की एक साथ सहमति है। ऐसी सहमति मौके पर विकसित की जा सकती है और जिससे उन सभी का इरादा हो। (रामस्वमी अयांगर वी. तमिल नाडु शासन ., [(1976) 3 एस.सी.सी 779]। समान आशय के अस्तित्व का अनुमान मामले की उपस्थित परिस्थितियों और पक्षों के आचरण से लगाया जा सकता है। समान आशय के प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। समान आशय के उद्देश्य के लिए सभी मामलों में अपराध के निष्पादन में भागीदारी सिद्ध करना भी आवश्यक नहीं है। समान आशय घटना के दौरान भी विकसित हो सकता है। (राजेश गोविंद जागेशा वी. महाराष्ट्र शासन) [(1999) 6 एस.सी.सी 428] धारा 34 लागू करने के लिए, इस तथ्य के अलावा कि दो या दो से अधिक अभियुक्त होने चाहिए, दो कारक स्थापित होने चाहिए: (i) समान आशय, और (ii) अपराध के निष्पादन में अभियुक्त की भागीदारी। यदि समान आशय सिद्ध हो जाता है लेकिन व्यक्तिगत अभियुक्त को कोई प्रत्यक्ष कृत्य आरोपित नहीं किया जाता है, तो धारा 34 लागू होगी क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से प्रतिनिधिक दायित्व शामिल है, लेकिन यदि अपराध में अभियुक्त की भागीदारी सिद्ध हो जाती है और समान आशय अनुपस्थित है, तो धारा 34 का सहारा नहीं लिया जा सकता। हर मामले में समान आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण होना संभव नहीं है। इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अनुमानित किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. समान आशय के प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम झिंकू नाई एवं अन्य संबंधित मामले**[8] में पैरा 8 में प्रेक्षण किया है:

[8] (2001) 6 एस.सी.सी 503

"8. अब हम उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करें और पता लगाएं कि एक समझदार व्यक्ति द्वारा क्या उचित निष्कर्ष निकाला जाएगा। सिद्ध तथ्य यह हैं कि अभियुक्त चाकुओं से लैस थे; वे आधी रात को शिकायतकर्ता के घर में घुसे, शायद दिन में हुए झगड़े का बदला लेने के लिए या क्योंकि वे अमीर और जिद्दी व्यक्ति हैं; समर्पण करने और अपनी कामुक लालसा को संतुष्ट करने से इनकार करने पर, अभियुक्तों ने, लड़की के विरोध के बावजूद, उसे उठाया और ओसारा में ले आए। उस स्तर पर जब मृतक चिल्ला रही थी और विरोध कर रही थी, उसके पिता अ.सा. 4 मनी राम और उसकी माँ अ.सा. 5 नागेशरी उठे और शोर मचाने लगे। ताहिर, अभियुक्तों में से एक ने मृतक को चाकू से वार किया और दो अन्य ने अ.सा. 4 और अ.सा. 5 को चाकू मारा। इन तथ्यों से, एकमात्र उचित निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है, वह यह है कि अभियुक्तों का समान आशय गरीब हरिजन की युवा लड़की के साथ दुष्कर्म करना था और विरोध की स्थिति में, चाकू के वार से हत्या करना था। उनकी आपराधिकता के साहसिक कार्य को यह तर्क देकर कम या शून्य नहीं किया जा सकता कि उनके द्वारा कारित चोटों के परिणामस्वरूप अ.सा. 4 और अ.सा. 5 की मृत्यु नहीं हुई। इस दृष्टिकोण से, यह निर्धारित करते हुए की मणि राम और नागेशरी पर चाकू से वार झिनकु(अपीलार्थी) और दीप चंद का स्वतंत्र कृत्य था तथा ताहिर का मृतक के छाती पर चाकू से वार उसका स्वतंत्र कृत्य प्रतीत होता है, इस कारणवश अपीलार्थी झिनकू को धारा 302 के तहत अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सक्या, उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की सजा को धारा 302/34 से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बदलकर धारा 324 करने में गंभीर त्रुटि की है अतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश स्थायी नहीं रह सकता।"

29. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने **सुरेश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य संबंधित मामले**[9] में निर्धारित किया है कि समान आशय के अग्रसरण में सदस्य का कोई प्रत्यक्ष कृत्य आवश्यक नहीं है और समान आशय का प्रश्न परिस्थितियों के आधार पर अनुमानित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने पैरा 22, 23 और 24 में निम्न प्रेक्षण किया है:-

"22. यहाँ तक कि घटनास्थल पर सह-अभियुक्त की उपस्थिति का मिलन भी धारा 34 को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आवश्यकता नहीं है, उदाहरण के लिए सह-अभियुक्त थोड़ा दूर रह सकता है और भाग लेने वाले अभियुक्तों को हथियार फेंककर या गुलेल से पहुँचा सकता है ताकि भाग लेने वाले अभियुक्त लक्षित व्यक्ति पर चोट पहुँचा सकें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रगति के साथ एक अन्य उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है: ऐसा एक व्यक्ति, समान आशय के अग्रसरण में, दूरबीन के माध्यम से दूर से कार्यों की देखरेख करते हुए मोबाइल फोन के माध्यम से अन्य अभियुक्तों को निर्देश दे सकता है कि समान आशय को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए। हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि उदाहरणों में बताए गए उन दो व्यक्तियों के मामले में धारा 34 क्यों लागू नहीं हो सकती।

23. इस प्रकार धारा 34 को आकर्षित करने के लिए दो आधार अपरिहार्य हैं: (1) आपराधिक कृत्य (कृत्यों की एक श्रृंखला) एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[9] (2009) 3 एस.सी.सी 673

एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। (2) ऐसे प्रत्येक व्यक्तिगत कृत्य का सामूहिक परिणाम जिसके कारण आपराधिक अपराध कारित हुआ, उन सभी व्यक्तियों के समान आशय के अग्रसरण में होना चाहिए।

24. ऊपर बताए गए पहले आधार को देखते हुए, जिस अभियुक्त को धारा 34 की शक्ति पर दायित्व से बांधा जाना है, उसने कोई ऐसा कार्य किया होना चाहिए जिसका अपराध के साथ संबंध हो। ऐसा कार्य बहुत पर्याप्त होने की आवश्यकता नहीं है, यह पर्याप्त है कि कार्य केवल अपराध को सुगम बनाने के लिए दृश्य की रखवाली के लिए हो। कार्य का आवश्यक रूप से प्रत्यक्ष कृत्य होना आवश्यक नहीं है, यहाँ तक कि यदि यह केवल प्रच्छन्न कृत्य है तो भी यह पर्याप्त है, बशर्ते कि ऐसा कृत्य सह-अभियुक्त द्वारा समान आशय के अग्रसरण में किया गया सिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि एक लोप भी, कुछ परिस्थितियों में, एक कृत्य के समान हो सकता है। यह धारा 32 का आशय है। तो धारा 34 में वर्णित कृत्य का प्रत्यक्ष कृत्य होना आवश्यक नहीं है, यहाँ तक कि एक निश्चित स्थिति में एक निश्चित कार्य करने का अवैध लोप भी एक कृत्य के समान हो सकता है उदाहरण के लिए: एक सह-अभियुक्त, जो पीड़ित के ठीक सामने खड़ा है, उसने एक सशस्त्र हमलावर को हथियार के साथ पीड़ित के पीछे से वार करने के लिए आते हुए देखा। वह सह-अभियुक्त, जो पीड़ित को हमले से बचने के लिए हट जाने की चेतावनी दे सकता था, जानबूझकर ऐसा करने से इस विचार के साथ परहेज करता है कि वार पीड़ित पर होना चाहिए। ऐसे लोप को भी किसी दी गई स्थिति में एक कृत्य कहा जा सकता है। इसलिए, धारा के तहत दायित्व से बांधे जाने के लिए सह-अभियुक्त द्वारा कार्य किया जाना अपरिहार्य है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

या प्रच्छन्न। लेकिन यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है, भले ही उसका दूसरों के साथ अपराध को पूरा करने के लिए समान आशय हो, तो उस व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए धारा 34 भारतीय दंड संहिता का सहारा नहीं लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वह अभियुक्त जो केवल अपने मन में समान आशय रखता है, लेकिन घटनास्थल पर कोई कार्य नहीं करता है, उसे धारा 34 भारतीय दंड संहिता की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"

30. उपरोक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय के सिद्धांतों के आलोक में, अभियोजन को अभियुक्तों के आशय और समान आशय को सिद्ध करना आवश्यक है। यदि जमाव के किसी सदस्य ने सामान्य उद्देश्य का उल्लंघन किया है और अपनी मर्जी से कार्य किया है, तो यह उसका व्यक्तिगत कार्य होगा और अन्य उस सदस्य द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. समान आशय साझा करते हुए अपराध करने के लिए, मनों का पूर्व-निर्धारण और पूर्व-सहमति आवश्यक है न कि संबंधित व्यक्ति का प्रत्यक्ष कृत्य। समान आशय का अनुमान प्रयुक्त हथियार, कार्य के क्रम, हथियार की प्रकृति, चोट की प्रकृति और प्रभावित शरीर के अंग के आधार पर लगाया जा सकता है।

32. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि तीन अपीलार्थीगण में से किसने मृतक के सिर पर ऐसी चोट पहुँचाई जो मृतक की प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। पुनीराम (अ.सा.-1) और अंजोरीराम (अ.सा.-7) के ऐसी चोट पहुँचाने से संबंधित साक्ष्य यह निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि तीन अपीलार्थीगण में से किसने ऐसी चोट पहुँचाई। गवाहों के साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य यह भी निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त

नहीं हैं कि सिर की चोट सभी तीन अभियुक्तों द्वारा कारित की गई थी और सिर की चोट तीन चोटों या तीन से अधिक चोटों का परिणाम थी।

33. जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **शर्मन और अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में निर्धारित किया गया है, अपीलार्थीगण के पास केवल लाठियां थीं, इसलिए केवल लाठियां रखने के आधार पर यह अनुमान लगाना संभव नहीं होगा कि अपीलार्थीगण का बिना किसी और पुष्टि या अन्य परिस्थितियों के, घनश्याम की हत्या की श्रेणी में आने वाला मानव वध करने का समान आशय था।

34. वर्तमान प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियाँ यह प्रकट करते हैं कि घटना से ठीक एक दिन पूर्व बाज़ार में अपीलार्थी अर्जुन और मृतक घनश्याम के बीच कुछ विवाद हुआ था, अपीलार्थी द्वारा घनश्याम के साथ मारपीट की गई थी और वह किसी प्रकार बाज़ार से बचकर निकला था। पुनीराम (अ.सा.-1) के साक्ष्य के अनुसार, त्वरित रूप से दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) और मर्ग (प्रदर्श पी/2) के अनुसार, घटना के समय यानी सुबह लगभग 7.30 बजे शौच या निवृत्त होने के लिए, मृतक घनश्याम, जो कि अवयस्क नहीं था बल्कि जिसकी आयु लगभग 34-35 वर्ष थी, उसके साथ उसके पिता पुनीराम (अ.सा.-1), जिनकी आयु लगभग 55 वर्ष थी, घटना स्थल तक गए थे। पुनीराम (अ.सा.-1) अपने बेटे की प्रतीक्षा और निगरानी कर रहा था और अपने बेटे की सहायता एवं सुरक्षा के लिए वहाँ उपस्थित था; वह तालाब के पास अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहा था। मृतक घनश्याम जनक के खेत में उपस्थित था, उसी समय लाठियों से लैस होकर तीन अपीलार्थी आए और उन्होंने घनश्याम पर बार-बार प्रहार किए। वह सहायता के लिए चिल्लाया, उसके पिता पुनीराम (अ.सा.-1) दौड़े और उन्होंने अपीलार्थीगण से विनती की, यहाँ तक कि उन्होंने विशिष्ट अनुरोध किया कि मृतक उनका इकलौता बेटा है और कम से कम उसे छोड़ दें, इसके बावजूद अपीलार्थीगण ने उस पर हमला किया, यहाँ तक कि उन्होंने इस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्षी का पीछा करने का प्रयास किया। वह सहायता के लिए चिल्लाया, जिसके बाद 5 से 10 व्यक्ति एकत्रित हो गए, तब अपीलार्थी घटना स्थल से भाग गए। घनश्याम गंभीर रूप से घायल था। इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि घटना से ठीक एक दिन पूर्व अपीलार्थी अर्जुन और मृतक के बीच गंभीर विवाद हुआ था और मृतक को इस बात की पर्याप्त आशंका थी कि अपीलार्थीगण द्वारा उसकी हत्या की जा सकती है, इसलिए वह निवृत्त होने के लिए अपने पिता के साथ गया था, जो ग्रामीणों के लिए शौच हेतु जाने का सामान्य समय था और हर कोई यह अनुमान लगा सकता है कि गाँव में रहने वाले व्यक्ति निवृत्त होने के लिए गाँव से बाहर खेतों की ओर जा सकते हैं।

35. अपीलार्थी लाठियों से लैस थे, वे संख्या में तीन थे, वे खेत या तालाब पर किसी अन्य कार्य के लिए नहीं गए थे, न ही स्नान के लिए और न ही शौच के लिए, वह भी दिन के शुरुआती भाग में। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति का कोई अन्य कारण या अवसर नहीं था। अपीलार्थीगण ने भी घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति का कोई अन्य कारण नहीं दिखाया है वह भी लाठियों के साथ। पुनीराम (अ.सा.-1) के साक्ष्य के अनुसार, उसने अपीलार्थीगण से विनती की थी की वे उसके पुत्र को जमीन पर छोड़ दें व उसका इकलौता पुत्र है, फिर भी उन्होंने हमला करना बंद नहीं किया और तीन में से दो ने इस गवाह का पीछा किया। उसने अन्य व्यक्तियों से अपने बेटे को बचाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इस आधार पर इनकार कर दिया कि वे अपनी जान की कीमत पर उसके बेटे को बचाने की स्थिति में नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. अपीलार्थी गाँव से 5 से 10 व्यक्तियों के आने के बाद ही घटनास्थल छोड़कर भाग गए। शव विच्छेदन प्रतिवेदन और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, सिर पर फ्रैक्चर के साथ एक घातक चोट पाई गई, पीठ पर सात चोटें पाई गईं, दाहिने टखने पर एक फटा हुआ घाव, बाएं घुटने पर एक फटा हुआ घाव, दाहिनी जांघ पर एक खरोंच पाया गया और दोनों पैरों

की फिबुला हड्डियां खंडित पाई गईं। शरीर पर तीन फ्रैक्चर के साथ कुल दस चोटें पाई गईं। मस्तिष्क चोट से बुरी तरह प्रभावित था। ये दर्शाते हैं कि अपीलार्थीगण ने निर्दयतापूर्वक घायल के साथ मारपीट की और उस समय किसी में भी घटना में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं था।

37. अपीलार्थी पिता और पुत्र हैं, वे एक ही घर के निवासी हैं, वे एक साथ मौके पर आए, उन्होंने संयुक्त रूप से मृतक पर हमला किया, वे मृतक के प्रति द्वेष रखते थे। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति का कोई अन्य कारण या अवसर नहीं था। ये परिस्थितियाँ यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि पिछले गंभीर झगड़े के कारण अपीलार्थीगण ने घनश्याम को मारने का फैसला किया था और अवसर पाकर जब वह शौच के लिए घर से खेत गया, अपीलार्थीगण अपने घर से एक साथ निकले, उन्होंने संयुक्त रूप से घनश्याम पर हमला किया और उपरोक्त चोटें पहुँचाईं। यह घनश्याम की हत्या कारित करने के लिए अपीलार्थीगण के समान आशय को दर्शाता है और समान आशय के अग्रसरण में उन्होंने घनश्याम को चोटें पहुँचाईं। इन परिस्थितियों में, अभियोजन यह सिद्ध करने के लिए बाध्य नहीं था कि घनश्याम को घातक चोट किसने पहुँचाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहाँ अपीलार्थीगण का घनश्याम को गंभीर चोट पहुँचाने या सबक सिखाने का समान आशय था, बल्कि यह ऐसा प्रकरण है जिसमें अपीलार्थीगण का घनश्याम को मारने और खत्म करने का समान आशय था, इसलिए, यह तथ्य सिद्ध न होना कि घनश्याम को घातक चोट किसने पहुँचाई, अभियोजन के लिए घातक नहीं है और वर्तमान मामले में मृतक के सिर पर चोट पहुँचाना अपीलार्थीगण का व्यक्तिगत कार्य नहीं है।

39. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करने के बाद, विद्वान दशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बिलासपुर ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास तथा

500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि निर्णायक और विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है जो विधि के तहत स्थायी रहने योग्य है।

40. सूक्ष्म जांच करने पर, हमें अपीलार्थीगण पर अधिरोपित दोषसिद्धि और सजा में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं मिलती है।

41. परिणामतः, अपील योग्यता विहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

सही/- **सही/-**

टी. पी. शर्मा **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Shikhar Bakhtiyar